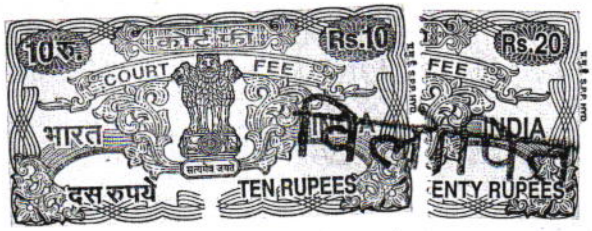

दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE भारत INDIA Rs.10 Rs.20 विलापपत्र

(150)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– श्रीमति ललता बाई पत्नि स्व0 श्री दत्तात्रय राव , निग0 1989 – I/16

2– दिलीप राव पुत्र स्व0 श्री दत्तात्रय राव ,

3– सुनील राव पुत्र स्व0 श्री दत्तात्रय राव ,

सभी निबासी ग्राम खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर म0 प्र0,

..................आवेदकगण

श्री/श्रीमती द्वारा आज दि. 22/6/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार खुरई जिला सागर

2–सुधीर राव पुत्र स्व0 श्री दत्तात्रय राव , ... अनावेदकगण

22/6/16

22-6-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय खुरई द्वारा प्र0क0 2141/बी121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21/06/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो कि समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विविरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के नाम से ग्राम आसौली घाट, प0ह0नं0 39, तहसील खुरई , जिला सागर में खसरा नंबर 527 में शामिल नाम से 9.060 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसमें कोई सिंचाई का साधन नहीं है। उपरोक्त भूमि ग्राम आसौली से करीब 01.50 किमी दूर स्थित है, जहां पर दूर दूर तक कोई भी सिंचाई का स्वनिर्मित या प्रकृतिक श्रोत/साधन नहीं है, ना ही उपरोक्त भूमि में कहीं भी कोई भी सिंचाई श्रोत है, उपरोक्त भूमि मौका पर असिंचित है। उपरोक्त भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा खुरई से किसान केडिट कार्ड था, जिसे आवेदकगण द्वारा चुकता कर दिया गया है, इस कर्ज के अलावा उपरोक्त भूमि पर कहीं कोई शासकीय या अशासकीय कर्ज बकाया नहीं

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1989/I/2016 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **ललताबाई व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.6.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई जिला सागर द्वारा प्र0 क0 2141/बी121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21/06/2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को श्रवण किया, प्रकरण का अवलोकन किया। 2– यह कि आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदनपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि, आवेदकगण के नाम से ग्राम आसौली घाट, तहसील खुरई , जिला सागर में खसरा नंबर 527 में शामिल नाम से 9.060 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसमें कोई सिंचाई का साधन नहीं है। उपरोक्त भूमि ग्राम आसौली से करीब 01.50 किमी दूर स्थित है, जहां पर दूर दूर तक कोई भी सिंचाई का स्वनिर्मित या प्रकृतिक श्रोत/साधन नहीं है, ना ही उपरोक्त भूमि में कहीं भी कोई भी सिंचाई श्रोत है। उपरोक्त भूमि मौका पर असिंचित है। अतः उसे खसरा/कंप्यूटर अभिलेख में असिंचित के रूप में दर्ज की जाबे। यह भी बताया कि उपरोक्त भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा खुरई से किसान केडिट कार्ड का ऋण था, जिसे आवेदकगण द्वारा चुकता कर दिया गया है। इस कर्ज के अलावा उपरोक्त भूमि पर कहीं कोई शासकीय या अशासकीय कर्ज बकाया नहीं है। 3– यह कि तहसीलदार द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र के आधार पर रानि का प्रतिवेदन/स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तलब की, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि मौका पर असिंचित है। उस पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है। जिसे नजर अंदाज करके जो आदेश पारित किया है, उसे निरस्त करके तहसीलदार को आदेशित किया जाबे कि बे उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में असिंचित के रूप में दर्ज करें।	

4— यह कि आवेदकगण द्वारा प्रकरण के साथ तहसीलदार के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खुरई का नोडयूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। निगरानी के साथ संलग्न रानि/पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि मौका पर असिंचित है। उपरोक्त खसरा में कहीं भी सिंचाई का मानव निर्मित या प्राकृतिक श्रोत नहीं है। आवेदक द्वारा स्वयं का शपथपत्र भी तत्संबंध में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थित में तहसीलदार द्वारा तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर आदेश पारित करके जो आवेदनपत्र निरस्त किया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार/हितबद्व ब्यक्ति को न्यायपाने से बंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायलाय द्वारा 2002 रानि 238 में तथा मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा भी 2005 रानि 212 में ब्यवस्था प्रदान की है कि 115—116 के तहत वास्तबिक त्रुटि सुधारने में परिसीमा लागू नहीं होती है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार खुरई द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/06/2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खुरई को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 527 रकवा 9.060 हैक्टेयर को राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में कॉलम नंबर 12/कैफियत में असिंचित के रूप में दर्ज करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य